न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2018 G.C.M.S. No. 2018/00120 दर्ज दिनांक : 13.04.2018

अपीलार्थिगण:

1. जमुदेवी बेवा चुनीया उर्फ चुन्नाराम उम्र 75 वर्ष
2. जेसाराम पुत्र चुनीया उर्फ चुन्नाराम
3. शारदा पुत्री चुनीया उर्फ चुन्नाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जमुदेवी बेवा चुनीया उर्फ चुन्नाराम जातिगण मीणा निवासीगण नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. छोगीदेवी पुत्री चुनीया उर्फ चुन्नाराम पत्नी जोराराम जाति मीणा निवासी नोवी हाल बलाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2017 जो श्रीमान सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2011 बअनवान छोगीदेवी बनाम जमुदेवी वगैरह में पारित किया को निरस्त करने बाबत् एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 07.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2017 जो श्रीमान सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2011 बअनवान छोगीदेवी बनाम जमुदेवी वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली में वादिनी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 693 रकबा 3.10 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा संख्या 694 रकबा 1.91 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा संख्या 695 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 696 रकबा 2.61 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल खसरान 4 रकबा 7.71 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 191.12 जिसके गत खसरा संख्या 459, 460, 458 बीघा भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त विवादाग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कृषि भूमि पूर्व में वादिनी के चाचा जगता पुत्र हरता के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थीं। वादिनी के पिता चुनीया व जगता सगे भाई है। जगता के लाऔलाद मृत्यु के उपरांत बहैसियत वारिसान के उसके भाई चुनीया का नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व पति चुनीया उर्फ चुन्नाराम का स्वर्गवास दिनांक 19.10.2011 को हो चुका है। वादिनी के पिता का विवाह पूर्व में श्रीमती डाईदेवी के साथ हुआ। जिसके दाम्पत्य जीवन से वादिनी छोगीदेवी का जन्म हुआ तथा डाईदेवी की मृत्यु के पश्चात वादिनी के पिता ने जमुदेवी से विवाह किया। जिसके दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र जसाराम व एक पुत्री शारदा उत्पन्न हुई। इस प्रकार वादिनी व प्रतिवादीगण उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार है। जिसमें वादिनी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा स्थित है। इस कारण वादिनी उक्त कृषि भूमि में अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में रेस्पोंडेंट संख्या 1 को अपने पिता के खातेदारी की उपरोक्त विवादित कृषि भूमि में अपने पिता चुनीया उर्फ चुन्नाराम के देहांत के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोंडेंट संख्या 1 का हक–हिस्सा मानते हुए जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर लागू नहीं होते हैं। इस कारण से रेस्पोंडेंट को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त विवादित कृषि भूमि पर खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों में विवाहित पुत्री का पिता की पूर्वजों की संपत्ति पर कोई हक–अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की घोर अवहेलना की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अपीलांट के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में कोई विवाद्यक कायम नहीं किए व न ही विधिनुसार विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक पर कोई निर्णय पारित किया। इसके अतिरिक्त अपीलांट को उक्त वाद के विरोध में अपने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण से अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सकें। उक्त वाद की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी में अपीलांट को बिना पूर्व सूचना दिए रखी गई। जिस पर अपीलांट को राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी की जानकारी नहीं होने से अपीलांट राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण से उक्त पत्रावली में अपीलांट की उपस्थिति का हस्ताक्षर तक नहीं हैं व पत्रावली साक्ष्य हेतु मुकर्रर थीं। उसके बावजूद भी अधीनस्थ

राजस्व ... प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय ने अपीलांट की उपस्थिति बताते हुए एकपक्षीय तरीके से जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 को पारित कर दी। जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। दिनांक 09.03.2018 को अपीलांट को जानकारी होने पर जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया व दिनांक 12.03.2018 को जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना, बिना विवाद्यक कायम कर एकतरफा तरीके से राजस्व लोक अदालत कैम्प में विधि में प्रदत्त प्रावधानों कर अवहेलना कर उक्त विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट वादिया द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.06.2017 द्वारा स्वीकार कर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.04.2018 को प्रस्तुत की।

2. विलंबकाल के संबंध में अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि उक्त वाद की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी में अपीलांट को बिना पूर्व सूचना दिए रखी गई। जिस पर अपीलांट को राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी की जानकारी नहीं होने से अपीलांट राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण से उक्त पत्रावली में अपीलांट की उपस्थिति का हस्ताक्षर तक नहीं हैं व पत्रावली साक्ष्य हेतु मुकर्रर थीं। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उपस्थिति बताते हुए एकपक्षीय तरीके से जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 को पारित कर दी। जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। दिनांक 09.03.2018 को अपीलांट को जानकारी होने पर जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया व दिनांक 12.03.2018 को जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलांट जानकारी के बावजूद लापरवाही से विलंब से प्रस्तुत की गई हैं। विलंबकाल सद्भाविक नहीं हैं। जो माफ करने योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित था, जो साक्ष्य वादी में नियत था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत किए बिना पत्रावली दिनांक 13.06.2017 को न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प नोवी में रखते हुए दिनांक 13.06.2017 को पक्षकारान की सहमति के बिना, पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किए बिना तथा विनिश्चय का कारण अंकित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसके संबंध में पक्षकारान को सूचित किए जाने का कोई साक्ष्य या आदेशिका में अंकन नहीं हैं तथा न ही अपीलाधीन निर्णय में पक्षकारान/पक्षकारान के अधिवक्ता की उपस्थिति का कोई अंकन है। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की जानकारी के बिना अपीलांट को सूचित किए बिना एवं अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जिसकी निर्णय दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट का यह कथन सहज रूप से स्वीकार्य है कि उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 09.03.2018 को हुई हैं। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार योग्य होने से विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित था। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.07.2012 को विवाद्यक कायम किए गए थें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य वादी समायत कर पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किए बिना व प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना पत्रावली को कैम्प कोर्ट में नियत कर उभयपक्षकारान की सहमति/राजीनामा/उपस्थिति के बिना एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो कानूनन एवं प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण होने से समर्थन/पुष्टियोग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2011 बअनवान छोगीदेवी बनाम जमुदेवी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2017 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 की अनुपालना करते हुए विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **07.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner